रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-13102025-266904
CG-TL-E-13102025-266904

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 666] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 8, 2025/आश्विन 16, 1947
No. 666] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2025/ASVINA 16, 1947

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय

अधिसूचना

हैदराबाद, 11 सितम्बर, 2025

दस्तावेज सं. MANUU/ER-(B)/F. No.138.— मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996 (1997 की संख्या 2) के परिनियम 12 में निम्नलिखित संशोधन को 2 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई है तथा इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है।

(1) कार्यकारी परिषद में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात्:

(i) कुलपति

(ii) सम-कुलपति

(iii) सचिव (उच्चतर शिक्षा), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार या उनके द्वारा नामित व्यक्ति, पदेन सदस्य।

(iv) अध्ययन संकायों के संकायाध्यक्षों में से चार सदस्य, वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से, कुलपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे;

(v) एक प्रोफेसर जो संकायाध्यक्ष नहीं है, वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम द्वारा कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा;

(vi) एक रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर, वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम द्वारा, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा

(vii) एक व्याख्याता/सहायक प्रोफेसर, वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम द्वारा, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा

(viii) कोर्ट के दो सदस्य, जिनमें से कोई भी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या उससे संबद्ध किसी संस्थान का कर्मचारी या छात्र नहीं होगा, जिन्हें कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा; तथा

(ix) शैक्षणिक और सार्वजनिक जीवन में विशिष्ट योगदान देने वाले चार व्यक्तियों, जिन्हें कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा;

(x) महिला शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के निदेशकों की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जाएगी

(2) कुलपति, सम-कुलपति और सचिव (उच्चतर शिक्षा), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार या उनके द्वारा नामित, पदेन सदस्य को छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण करेंगे।

(3) कार्यकारी परिषद के कुल सदस्यों में से आधे, अध्यक्ष को छोड़कर, कार्यकारी परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति(कोरम) करेंगे।

(4) यदि कार्यकारी परिषद का कोई सदस्य संसद सदस्य (लोकसभा/राज्यसभा) बनने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय मंत्री/राज्य मंत्री/उपमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष/उप अध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हो जाता है, तो विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद में उसका नामांकन/निर्वाचन समाप्त माना जाएगा।

प्रो.एस.के. इश्तियाक अहमद, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./400/2025-26]

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

NOTIFICATION

Hyderabad, the 11th September, 2025

F. No. MANUU/ER-(B)/F. No. 138.— The following amendment of Statutes 12 of Maulana Azad National Urdu University Act, 1996 (No.2 of 1997) received the assent of the President on the 2nd April, 2025 and hereby published for general information

(1) The Executive Council shall consist of the following members, namely:

(i). Vice-Chancellor

(ii). Pro-Vice Chancellor

(iii) The Secretary (Higher Education), Ministry of Education, Government of India or his/her nominee, ex-officio member.

(iv). Four members from among Deans of Schools of Studies, by rotation according to seniority, to be appointed by the Vice Chancellor;

(v). One Professor who is not a Dean by rotation according to seniority, to be appointed by the Vice-Chancellor;

(vi). One Reader/Associate Professor, by rotation according to seniority, to be appointed by the Vice-Chancellor

(vii). One Lecturer/Assistant Professor, by rotation according to seniority, to be appointed by the Vice-Chancellor

(viii). Two members of the Court, none of whom shall be an employee or a student of the University or an Institution recognized by or associated with the University, to be nominated by the Visitor; and

(ix). Four persons of distinction in academic and public life, to be nominated by the Visitor;

(x)· Directors of Women Education and Distance Education to be appointed by the Vice-Chancellor

(2). All the members of the Executive Council, other than the Vice-Chancellor, Pro-Vice Chancellor and Secretary (Higher Education), Ministry of Education, Government of India or his/her nominee, ex-officio member shall hold office for a term of three years.

(3). Half of the total members of the Executive Council shall form a quorum for a meeting of the Executive Council excluding the Chairman.

(4). If any members of the Executive Council consequent on becoming a Member of Parliament (Lok/Rajya Sabha) is inducted into the cabinet in the capacity of either the Union Minister/Minister of State/Deputy Minister or Speaker/Deputy Speaker, Lok Sabha or Deputy Chairman, Rajya Sabha, his or her nomination/election to the Executive Council of the University shall be deemed to have been terminated.

PROF.SK.ISHTIAQUE AHMED, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./400/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA